

प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित अरविन्द कुमार पोसवाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 26/2024 (अपील सूचना का अधिकार)

सुरेश कुमार कोठारी पुत्र स्व. श्री सोहन लाल कोठारी निवासी: कन्याशाला के पास,
वल्लभनगर, उदयपुर

.....अपीलार्थी

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार वल्लभनगर उदयपुर (राज.)

.....प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक: 08/04/2024

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 15.01.2024 को एक प्रार्थना पत्र प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करायी जाने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र क्रमांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/26/24/364-65 दिनांक 13.03.2024 से लिखा गया।

प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया। अपीलार्थी अनुपस्थित।

प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब जरिये पत्रांक 06 दिनांक 06.04.2024 से अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा चाही जा रही सूचना अपीलार्थी को जरिये पत्रांक 05 दिनांक 06.04.2024 उपलब्ध करवा दी गई है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रत्यर्थी द्वारा जरिये पत्रांक 05 दिनांक 06.04.2024 से अपीलार्थी को उपलब्ध करवा दी गई है। चूंकि प्रकरण में प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। अतः प्रकरण में अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवा दिये जाने से अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।

प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना नियमित समयावधि में उपलब्ध नहीं करवाई जाकर नियमित समयावधि उपरांत सूचना उपलब्ध करवाई गई है अतः प्रत्यर्थी सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार वल्लभनगर को निर्देशित किया जाता है कि वह सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त प्रार्थना पत्रों को नियमानुसार निश्चित समयावधि में निस्तारण करना सुनिश्चित करे।

निर्णय की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार वल्लभनगर को एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावें।

प्रकरण फ़ैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दफ़तर दाखिल हो।



(अरविन्द कुमार पोसवाल)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर